

# फर्द अहकाम

2021/157


न्यायालय सहायक कलक्टर - चोंमू (जयपुर)

रजना बनाम सुखामात व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष

68 / 2021

विशेष विवरण

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		नं.	
	09/11/21	<p>श्री महेश कुमार शर्मा एड. ने प्राणपत्र अर्थात् निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। तकील प्रार्थी की ठाकरिम अर्थात् निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय वदत सुनी गई। प्राणपत्र दर्ज रजिस्टर हो। त्प्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये ठाकरिम अर्थात् निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आ.ख. नं 932, 933, 934 कुल कित 3 कुल रकबा 347 हे० चार्क ग्राम मलिकपुर पोस्ट मलिकपुर तहसील चोंमू जिला जयपुर के रिकार्ड की सुधास्थिति परफरार रखे। इसमें कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी दिनांक 13/12/21 को पेश करे। नोटिस जारी है।</p>	
	ख-नाम्नीना 13/12/21	<p>पत्रवली आज परामर्श नौबत के राग अधीन 2021 / केम कोर्ट ग्राम <del>चोंमू</del> में पेश हुई। पत्रकदम उप/अनु पत्रवली गत अदालतनुसार दिनांक 25/01/22 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर चोंमू (जयपुर)</p> <p>मोहम्मद अली उत्तराधि श्रीगा डा. मिंगेश</p>
	25/1/22	<p>पत्रवली के परामर्श तारे, अवकाश ... .. दिनांक पर्यंत ही हेतु दिनांक 24/02/22 को पेश हो।</p>	 <p>मोहम्मद अली</p>
	24/2/22	<p>पत्रवली के परामर्श तारे, अवकाश ... .. दिनांक पर्यंत ही हेतु दिनांक 13/4/22 को पेश हो।</p>	<p>मोहम्मद अली</p>

रजना वनाम हुवालाल वजी

क्र. नं 68/2021

T.T

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
	13/8/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दारे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/8/22 को पेश हो।	U.T दि 12 6,9,10 दि दिनांक (21/8/22) \$ksh
	20/5/22	क.न. उप. 1. अग्रणी संख्या 1,2,5,6, 7 व 9 के क्षेत्र के रामलाल माकी ने कालतनामा पेश किया। जवाब वास्ते समन चाव। अग्रणी सं. 14 का तलबी अनुपस्थित है। शेष के तलबी वास्ते समन तलबाना पेश करे। पत्रावली आगामी दिनांक 14/9/22 को पेश की।	
	14/9/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य रिश्तागत रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 15/9/22 को पेश हो।	88
	15/9/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दारे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/11/22 को पेश हो।	
	11/11/22	पत्रावली पेश हुई। माती 5-00 बजे तक बार-बार आवाज दिलावासी गयी। शर्की असास्थतन व कालतना अनु है। अतः शर्की का शर्बना पत्र अफग राजी अफम पैरवी में खारिज किया जाना है। पत्रावली फैसल गुमार होकर दर्ज नुम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्त हो। सहायक कलक्टर बोम्बे (जयपुर)	